महाराष्ट्र में नीरा देवगढ़ सिंचाई परियोजना का प्रस्तावित निजीकरण गंभीर चिंता का विषय

महाराष्ट्र में पूना–सतारा–सांगली जिलों में स्थित नीरा देवगढ़ सिंचाई परियोजना देश की पहली ऐसी बड़ी सिंचाई परियोजना होगी जहां निजी क्षेत्र नदी का प्रबंधन कर सकेंगे एवं सिंचाई व घरेलू उपयोग के लिए बीओटी (बनाओ, चलाओ और स्थानांतरित करो) आधार पर जल आपूर्ति करके लाभ बटोर सकेंगे। नीरा देवगढ़ परियोजना के अंतर्गत पूना से 90 किमी दक्षिण में विस्थापित हो चुके देवगढ़ गांव के पास नीरा नदी पर 59 मीटर ऊंचा एवं 2320 मी. लम्बा बांध निर्माण शामिल है। बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता 3373 लाख घन मीटर है।

महाराष्ट्र सरकार की महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम (एमकेवीडीसी) द्वारा 17 नवम्बर 2007 को इच्छुक कम्पनियों को आमंत्रित करने के लिए जारी विज्ञापन पर पांच कम्पनियों ने परियोजना के प्रति अपनी इच्छा जाहिर की है। विज्ञापन में परियोजना के प्रति इच्छुक कम्पनियों के लिए ''अनुभव'' शब्द का काफी चतुराई पूर्ण उपयोग करके ''समान आकार'' में काम कर चुकी कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है। इस तरह किसी भी क्षेत्र में रुपये 1000 करोड़ की परियोजना का संचालन कर चुकी कम्पनी इसके लिए आवेदन कर सकती थी। इसके लिए सामने आयी कम्पनियों – अशोक बिल्डकॉन, आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आईएल एंड एफएस, शिंदे डेवलपर्स, इंडियन ह्यूम पाइप कम्पनी – के पास सिंचाई परियोजनाओं के प्रबंधन का अनुभव लगभग नहीं के बराबर है। खास बात यह है कि कुछ का तो दूर–दूर तक जल सम्बन्धित परियोजनाओं से कोई लेना–देना नहीं रहा है!

इस मामले में नीरा–देवगढ़ परियोजना की 208 किमी लम्बी दांयी छोर नहर एवं 21 किमी लम्बी बांयी छोर नहर के साथ–साथ चार लिफ्ट योजना दांव पर है, जो कि 43000 हेक्टेयर जमीन को सींचेगी। निजी कम्पनी धन निवेश करेगी एवं बांध के बचे हुए 5 प्रतिशत हिस्से को पूरा करेगी, 164 किमी लम्बी नहरें बनायेगी एवं जल वितरण नेटवर्क स्थापित करेगी। बदले में, नदी, बांध एवं उसके पानी पर उसका पूरा नियंत्रण रहेगा।

इसमें पानी जैसी मूलभूत संसाधन के निजीकरण का गंभीर सैद्धान्तिक मुद्दा शामिल है, साथ–साथ महाराष्ट्र सरकार द्वारा परियोजना के कुप्रबंधन का मामला काफी चौंकाने वाला है। नीरा–देवगढ़ परियोजना की परिकल्पना मूल रूप से 1984 में रुपये 62 करोड़ की लागत से की गई थी। अब तक इस परियोजना के बांध निर्माण में रुपये 196 करोड़, नहरो पर रुपये 93.96 करोड़, जमीन अधिग्रहण में रुपये 87 करोड़, पुनर्वास में रुपये 21 करोड़ एवं अन्य मदों में रुपये 50 करोड़ व्यय अर्थात कुल मिलाकर रुपये 450 करोड़ व्यय हो चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि इस परियोजना को पूरा करने में रुपये 1000 करोड़ और व्यय होंगे। जो कोई भी इतनी रकम निवेश करेगा निश्चित तौर पर उसकी वसूली के लिए लाभ भी कमायेगा।

विज्ञापन में निजी कम्पनियों के लिए अनुबन्धित कृषि के माध्यम से भूमि मालिकों से ''उचित दर पर लागत वसूली'' का भी वादा किया गया है। निश्चित तौर पर विज्ञापन जारी करते समय जिन किसानों को अंधेरे में रखा गया था, वे अब उठ खड़े हुए हैं। सतारा जिले में प्याज और गन्ने की खेती करने वाले एक किसान दिलीप घाडगे का कहना है कि, ''इसका मतलब यह हुआ कि बड़ी कम्पनियां आकर हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगी और हमलोग खदेड़ दिये जाएंगे। इस तरह यह हमारे ताबूत की अंतिम कील साबित होगी।''

सन 1981 से ही महाराष्ट्र के सतारा जिले के लोनान्द गांव के बालासाहेब बागवान, जो कि पेशे से वकील हैं और खांडला तालुक पानी पंचायत के अध्यक्ष हैं, वे नीरा नदी पर बांध निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि सूखाग्रस्त खांडला एवं आस–पास के अन्य गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। नीरा देवगढ़ बांध कई वर्षों बाद तैयार हो सका है, लेकिन बालासाहेब का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। खेतों में अभी भी पानी नहीं पहुंचता है। ''यह एक सूखाग्रस्त इलाका है जो कि सन 2003–2005 के दौरान भारी सूखे का समाना कर चुका है। नदी के निजीकरण किसानों की रीढ़ टुट जाएगी।'' वे पूछते हैं कि, ''आखिर कोई निजी कम्पनी बांध के पूरे वितरण नेटवर्क पर नियंत्रण कैसे कर सकती है?''

दक्षिण–पश्चिम महाराष्ट्र में कई दशकों से समान जल वितरण आन्दोलन (समान पानी वातप चलवल) तैयार करने वाले डा. भरत पटानकर सरकार के इस कदम से सदमें में हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 15 जुलाई 2003 के एक

आदेश द्वारा {जीआर संख्या बीओटी/702 (425/2002)/एमपी–1} सिंचाई परियोजनाओं के निजीकरण की नीति घोषित की है। विश्व बैंक अपनी 3250 लाख डालर की महाराष्ट्र जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के निजीकरण को भी बढ़ावा दे रहा है।

जब एमकेवीडीसी ने इस परियोजना को हाथ में लिया तो, क्या इसके लिए वित्तीय व्यवस्था की योजना बनायी थी? परियोजना को बगैर उचित नियोजना के ही आगे क्यों बढ़ाया गया? आखिर इस परियोजना का निजीकरण करने के बजाय इसके कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं करनी चाहिए? ऐसे व्यापक परिणाम वाले निर्णय लेने से पहले सरकार लोगों से क्यों नहीं पूछती है? पानी जैसे मूलभूत सामुदायिक संसाधन का ये निजीकरण सम्पूर्णतः अस्वीकार्य है। इससे तो अच्छा होता कि जिनके लिए यह योजना बनायी गई थी उन लोगों को इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती और उनको इसके लिए जरूरी संसाधन (धन, प्रशिक्षण आदि) दिया जाता।

बांधो, नदियों एवं लोगों का दक्षिण एशिया नेटवर्क (सैण्ड्रप)
www.sandrp.in (Ph: 2748 4655)
डैम्स, रिवर्स एंड पिपुल (नवम्बर–दिसम्बर 2007)